(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/स्टांपअधि./2018/0297 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.06.2017 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टांप जिला पंजीयक, जिला इंदौर प्रकरण क्रमांक 45/बी-103/2016-17/33.

कुमारी मंजू संकत पिता श्री मुनीर संकत
निवासी बगीचा नंबर 139, पेशनपुरा महू,
जिला इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ
जिला पंजीयक, जिला इंदौर-1, म.प्र. .....अनावेदक

श्री हेमंत मूंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/10/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56(4) के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक जिला इंदौर द्वारा पारित दिनांक 09.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा ग्राम गांगल्या खेड़ी स्थित खसरा नंबर 150/3 रकबा 0.650 हैक्टेयर भूमि में से समय-समय पर तीन भागों में भूमि का विक्रय किया गया, जिसमें से 0.575 हैक्टेयर भूमि आवेदिका के पास शेष रहा, लेकिन राजस्व विभाग ने इस जमीन पर से आवेदिका का नाम शासन के रिकॉर्ड में विलोपित कर दिया।

आवेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष दस्तावेज में सुधार करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार द्वारा निरस्त कर दिया गया। आवेदिका ने न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, महू जिला इंदौर के समक्ष दीवानी मुकदमा नंबर 81ए/11 प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 28.10.2015 को आदेश पारित कर आवेदिका के पक्ष में आदेश एवं आज्ञप्ति पारित की गई। तहसीलदार के समक्ष आवेदिका का नाम पुन: दर्ज करने के लिए आवेदन किये जाने पर उनके द्वारा डिक्री का पंजीयन कराने हेतु कहा गया। उर्पयुक्त डिक्री सम्यक रूप से स्टाम्पित करने बावत् कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला पंजीयक, इंदौर को पत्र भेजा गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक द्वारा प्रकरण क्र. 45/बी-103/16-17/33 दर्ज कर आदेश दिनांक 09.06.2017 में गाईड लाईन वर्ष 2015-16 अनुसार उक्त संपत्ति की भूखण्ड की दर 4500/- प्रतिवर्गमीटर एवं कृषि भूमि की दर 58,00,000/- से प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य 26,60,000/- निर्धारित किया गया, जिस पर मुद्रांक शुल्क रूपये 1,62,925/- एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 40(1)(ख) के तहत शास्ति 1,000/- रूपये इस प्रकार कुल 1,63,925/- रूपये तीस दिवस में शासकीय कोष में जमा करने का आदेश पारित किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण निगरानी मेमो में उठाये गये तर्कों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जा रहा है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2017 अवैध, त्रुटिपूर्ण एवं विधि के मान्य सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का उचित एवं पर्याप्त विश्लेषण किए बिना ही मनमाने तौर पर मुद्रांक शुल्क 1,62,925/- एवं शास्ति रूपये 1,000/- जमा करने के आदेश पारित कर गंभीर वैधानिक त्रुटि की है। अत: पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिका को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया के पालन के बिना ही आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है। अत: आदेश निरस्त किया जावे।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक, इंदौर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने आवेदिका को सुनवाई/साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर नहीं दिया है। आवेदिका का तर्क है कि डिक्री से उन्हें कोई नये स्वत्व नहीं मिले हैं, केवल उनके पूर्व स्वत्व की पुष्टि हुई है। इस बिंदु का परीक्षण आवेदिका को साक्ष्य का अवसर देकर ही किया जा सकता है। अत: प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह आवेदिका को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करके गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करे।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2017 निरस्त किया जाता है। उपरोक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को पुन: गुण-दोष के आधार पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर